

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 520]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 23, शक 1938

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

अधि. क्र. (क्र. 37) क्र. एफ 1-22-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका, परिषद, पसान, जिला अनूपपुर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	10 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड 15 इंदिरा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	01 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 08 स्वामी विवेकानन्द वार्ड 16 डॉ. राम मनोहर लोहिया वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	02 सरदार भगत सिंह वार्ड 06 महात्मा गांधी वार्ड 09 संजय गांधी वार्ड 12 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	10 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 16 डॉ. राम मनोहर लोहिया वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	09 संजय गांधी वार्ड 12 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	04 जयप्रकाश नारायण वार्ड 07 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 13 लालबहादुर शास्त्री वार्ड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपाल चन्द्र डाड, उपसचिव.